न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः 25/2026

प्रार्थीः–

कुन्दणाराम पुत्र खीमाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. फुसीया पुत्र चमना जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री गणपतसिंह व श्री ललित जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 22.05.2026

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व की धारा 131–136 के तहत विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 490 रकबा 0.1625 हैक्टेयर सरहद मौजा मोकलसर तहसील सिवाना में स्थित है प्रार्थी के खसरा से जुडती हुई विप्रार्थी संख्या 2 की खसरा संख्या 2173/493 रकबा 6.4748 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। सर्वे रिसर्वे के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के रहवासीय मकान को विप्रार्थी संख्या 2 के खसरे की बदिशा दक्षिणी माठ के पश्चिमी कोने में दर्शा दिया है वास्तविक रूप से प्रार्थी का रहवासीय मकान विप्रार्थी संख्या 2 की पश्चिमी माठ पर स्थित है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खसरा संख्या 490 रकबा 0.1625 हैक्टेयर की रहवासीय मकान को दर्शान में हुई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया गया है।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए माफिक अनुतोष प्रार्थी के खसरा संख्या 490 मे स्थित रहवासीय मकान की राजस्व रेकर्ड में हुई तरमीम को किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में जाहिर किया की सर्वे रिसर्वे के हुई तरमीम व प्रार्थी के मौकानुसार कब्जे में भिन्नता है विप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त तरमीम को मौका अनुसार दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधारपर स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पत्रांक भू.अ./2026/884 दिनांक 04.05.2026 के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''ब'' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

परिशिष्ट 'ब'

नजरी नक्शा
ग्राम - मोकलसर
प०स० - मोकलसर
तहसील - सिवाना